## कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जबलपुर (म.प्र.)
## ( आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2024 में पंचम संशोधन आदेश )

कमांक /322/सी.जे.एम. / 2025 जबलपुर, दिनांक 23.01.2025

मैं आलोक प्रताप सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर, जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए पूर्व में जारी आपराधिक कार्य विभाजन आदेश दिनांक 29.05.2024 में प्रशासनिक कार्यव्यवस्था की दृष्टि से निम्नानुसार संशोधन करता हूँ, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं शेष आदेश यथावत रहेगा–

1– कार्यविभाजन आदेश के सरल कं. 40 (श्रीमती मुनमुन सिंह जे.एम.एफ.सी.) के कॉलम कं. 03 से आरक्षी केन्द्र यातायात गढ़ा एवं कॉलम कमांक 04 से कंडिका कमांक 01 एवं 02 को विलोपित किया जाता है।

2– कार्यविभाजन आदेश के सरल कं. 36 (श्रीमती मीनाक्षी दंदेलिया खण्डेलवाल जे.एम.एफ.सी.) के कॉलम कं. 03 में आरक्षी केन्द्र यातायात गढ़ा एवं कॉलम कमांक 04 में निम्नानुसार कंडिका 02 एवं 03 समाहित की जाती है–

| क्र | मजिस्ट्रेट | आरक्षी केन्द्र | क्षेत्राधिकार |
|---|---|---|---|
| 36 | श्रीमती मीनाक्षी दंदेलिया खण्डेलवाल | यातायात गढा | 2. आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण, **(महिलाओं के विरूद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण को छोड़कर)** परिवाद प्रकरण, धारा 156(3)दं.प्र.सं. के आवेदन।<br><br>3– क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण। |

3– कार्यविभाजन आदेश के अनुसूची कमांक 02 ( महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों एवं लैंगिक अपराध से बालको का संरक्षण अधिनियम से संबंधित धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन अंकित किये जाने के संबंध में) के सरल कं 1 के कालम कं. 04 से, सरल कमांक 02 के कालम कमांक 03 एवं सरल कमांक 07 के कालम कमांक 05 से श्रीमती मुनमुन सिंह, जे.एम.एफ.सी. का नाम विलोपित कर सुश्री श्वेता खरे, जे.एम.एफ.सी. एवं सरल कं 4 के कालम कं. 05 से, सरल कं 5 के कालम कं. 04 से श्रीमती नेहा तोमर सिंह, जे.एम.एफ.सी. जबलपुर का नाम विलोपित कर सुश्री श्रेया शर्मा जे.एम.एफ.सी. जबलपुर का नाम प्रतिस्थापित किया जाता है ।

4– कार्यविभाजन आदेश के अनुसूची कमांक 03 ( स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 52"क" की उपधारा 02 एवं उक्त अधिनियम के अंतर्गत जब्तशुदा सामग्री के नमूने लिये जाने / प्रेषण किये जाने हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में प्रस्तुत आवेदन के निराकरण हेतु ) के सरल कं 1 के कालम कं. 04 से, सरल कं. 02 के कॉलम कमांक 03 से श्रीमती मुनमुन सिंह, जे.एम.एफ.सी. का नाम विलोपित कर श्री अरूण गोयल, जे.एम.एफ.सी. का नाम एवं सरल कं 5 के कालम कं. 05 से, सरल कं. 06 के कॉलम कं. 04 से एवं सरल कं. 07 के कॉलम कं. 03 से श्रीमती नेहा तोमर सिंह, जे.एम.एफ.सी. का नाम विलोपित कर सुश्री श्वेता खरे, जे.एम.एफ.सी. एवं प्रतिस्थापित किया जाता है।

5– श्रीमती मुनमुन सिंह जे.एम.एफ.सी. जबलपुर के अवकाश पर होने से उनके पदभार ग्रहण करने तक उनकी न्यायालय द्वारा जारी स्थायी गिरफतारी वारंट के पालन से संबंधित कार्यवाही / जमानत आवेदन / समर्पण संबंधी आवेदन का निराकरण श्री राकेश भिडे, जे.एम.एफ.सी. जबलपुर द्वारा किया जायेगा एवं उन्ही की न्यायालय में मूल प्रकरण को रीवॉक कराया जाकर प्रकरण की अग्रिम कार्यवाही निष्पादित की जायेगी।

Sd/-

(आलोक प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर

पृष्ठांकन कमांक /     / सी.जे.एम. / 2025                    जबलपुर, दिनांक 23.01.2025

**<u>प्रतिलिपिः–</u>**

1. कार्यालय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री ........................................... न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जबलपुर / पाटन / सिहोरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सचिव, जिला अधिवक्ता संघ, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

(आलोक प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर